भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2023

क्रमांक 161/मप्रविनिआ/2023/. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 39(2)(घ), 40(ग), 42(2) एवं (3), के साथ पठित धारा 181(1) द्वारा प्रदत्त अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2021 [आर जी–24(I), वर्ष विनियम, 2021], जिन्हें एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :–

**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अर्न्तराज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2021 [आरजी–24(I), वर्ष 2021] में प्रथम संशोधन**

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021" [एआर जी–24(I)(i), वर्ष 2023]** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन**

**मूल विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (नौ) के पश्चात् एक नवीन खण्ड, अर्थात् खण्ड (नौ) (क) स्थापित किया जाए :**

**"(नौ)(क) 'हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी)'** से अभिप्रेत है ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत अथवा संचायक (स्टोरेज) को सम्मिलित करते हुए (यदि संचायक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का

उपयोग किया जाता हो) या कोई अन्य प्रौद्योगिकी जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए तथा इसमें सम्मिलित होगी कोई भी क्रियाविधि जिसके द्वारा जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने हेतु हरित ऊर्जा का उपयोग किया जाता हो, हरित हायड्रोजन (ग्रीन हायड्रोजन) अथवा हरित अमोनिया का उत्पादन अथवा अन्य कोई स्त्रोतों को सम्मिलित करते हुए जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए :"

3. **मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन**

**विनियम 3.3 के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक स्थापित किया जाए:**

"परन्तु यह और कि 100 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादकों तथा उपयोगकर्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में बिना कोई परिचालन सीमाबद्धताओं के अध्यधीन निर्बाध (खुली) पहुंच प्रदान की जाएगी।"

**उपरोक्त परन्तुक के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़े जाएं :–**

"परन्तु यह और भी कि 100 किलोवाट से कम क्षमता के नवीकरणीय विद्युत उत्पादकों तथा उपयोगकर्ता जिन्हें इन संशोधनों की अधिसूचना तिथि से पूर्व दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि तथा लघु अवधि खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की गई हो उन्हें पूर्व में स्वीकृत की गई अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गई हो, उनके द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गई अवधि हेतु इस सुविधा की प्राप्ति को जारी रखा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा न्यूनतम बारह समय खण्डों हेतु खुली पहुंच के माध्यम से उपयोग की जा रही विद्युत की मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

**4. मूल विनियमों के विनियम 5 में संशोधन**

मूल विनियमों के विनियम 5.1 में शब्दों "निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा :" के स्थान पर निम्न शब्द स्थापित किये जाएं, अर्थात् :

"निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं को, उन्हें भी सम्मिलित करते हुए जो हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, को निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा"

**5. मूल विनियमों के विनियम 6 में संशोधन**

**मूल विनियमों के विनियम 6.1 में विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जाए :**

"परन्तु यह और कि निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु "गैर–जीवाश्म ईंधन" स्त्रोतों की अपेक्षा "जीवाश्म ईंधन" स्त्रोतों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।"

**6. मूल विनियमों के विनियम 8 में संशोधन**

**6.1 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 8.1 के पश्चात् एक–नवीन विनियम, अर्थात् विनियम 8.1.1 निम्नानुसार जोड़ा जाए :**

**"8.1.1 हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु समन्वयन अभिकरण**

(एक) हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच से संबंधित समस्त आवेदनों को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय समन्वयन अभिकरण (सेंट्रल नोडल एजेन्सी) द्वारा समस्त हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं हेतु स्थापित पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा तथा इन आवेदनों को समुचित आयोग द्वारा अधिसूचित संबंधित समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) के माध्यम से हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।

(दो) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) लघु अवधि हेतु हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच की स्वीकृति हेतु समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) होगा तथा राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा (यूटिलिटी) इकाई मध्यम तथा दीर्घ

अवधि हेतु हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच की स्वीकृति के लिये समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) होगी।

(तीन) समन्वयन अभिकरणों द्वारा केन्द्रीय समन्वयन अभिकरण (सेंट्रल नोडल एजेन्सी) के पोर्टल पर आम जनता को हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच के संबंध में समस्त सुसंबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।"

**6.2** मूल विनियमों के विनियम 8.2 में शब्दों "अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच विनियम, 2005" के स्थान पर शब्दों "पुनरीक्षित अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच विनियम, 2021" को स्थापित किया जाए तथा शब्दों" "इन पुनरीक्षित विनियमों" के स्थान पर शब्दों "उपरोक्त कथित विनियमों में इन संशोधनों" को स्थापित किया जाए।

**6.3 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 8.5 के पश्चात् नवीन विनियम, अर्थात् विनियम 8.5.1 निम्नानुसार जोड़ा जाए :**

"8.5.1 हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया

(एक) हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु समस्त आवेदन, समस्त प्रकार से पूर्ण कर, केन्द्रीय समन्वयन अभिकरण (सेंट्रल नोडल एजेन्सी) द्वारा स्थापित पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाएंगे।

(दो) राज्य समन्वयन अभिकरण (स्टेट नोडल एजेन्सी), लिखित में आदेश जारी करते हुए पन्द्रह दिवस के भीतर हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु आवेदनों को अनुमोदन प्रदान करेगा जिसका अनुपालन न किये जाने पर इन्हें अनुमोदित किया गया समझा जाएगा जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं के परिपालन के अध्यधीन होगा:

परन्तु यह कि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु ऐसे आवेदनों को प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम क्रमानुसार प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा।

(तीन) यदि कोई आवर्धन (augmentation) किये बगैर पारेषण प्रणाली में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो तो लघु–अवधि तथा मध्यम–अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच को अनुज्ञेय किया जाएगा जबकि दीर्घ–अवधि निर्बाध

(खुली) पहुंच हेतु पारेषण प्रणाली में यदि आवश्यक हो तो इसमें आवर्धन भी किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि यदि अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो तो विद्यमान प्रणाली में दीर्घ–अवधि को प्राथमिकता दी जाएगी तथा आगे यह भी कि जीवाश्म ईंधन स्त्रोतों से निर्बाध (खुली) पहुंच की अपेक्षा गैर–जीवाश्म ईंधन स्त्रोतों से निर्बाध (खुली) पहुंच को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(चार) निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु किसी भी आवेदन के प्रकरण में आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अस्वीकार नहीं किया जाएगा तथा निर्बाध (खुली) पहुंच को अस्वीकार किये जाने संबंधी समस्त आदेश आख्यापक (speaking order) होंगे।

(पांच) राज्य समन्वयन अभिकरण (स्टेट नोडल एजेन्सी) के आदेश के विरूद्ध उपरोक्त उप–खण्ड (चार) के अधीन आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीस दिवस के भीतर आयोग के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

(छः) आयोग को अपील का निराकरण तीन माह के भीतर करना होगा तथा उसके द्वारा जारी किया गया आदेश पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।"

6.4 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 8.8 में शब्दों "अनुश्रवण, विवाद निराकरण तथा निर्णय की समीक्षा" के पश्चात् शब्द "{हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को छोड़कर}" जोड़े जाएं।

**7. मूल विनियमों के विनियम 9 में संशोधन**

मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 9.1 में शब्दों "समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) द्वारा निर्बाध (खुली) पहुंच की स्वीकृति हेतु आवेदनों पर कार्यवाही हेतु निम्न समय–सारणी का अनुसरण करना होगाः" से पूर्व शब्दों "हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को छोड़कर" को जोड़ा जाए।

**8. मूल विनियमों के विनियम 13 में संशोधन**

**इस खण्ड के मुख्य शीर्षक के पश्चात् एक नवीन उप–शीर्षक जोड़ा जाए, अर्थात् :**

**"13 (क) : हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को छोड़कर निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु प्रभार"**

**तदोपरान्त, मूल विनियमों के उप–खण्ड 13.3 के पश्चात् एक नवीन उप–खण्ड 13ख जोड़ा जाए, अर्थात् :**

**"13ख : हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु अधिरोपित किये जाने वाने वाले प्रभार**

एक. हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर अधिरोपित किये जाने वाले प्रभार निम्नानुसार होंगे :

(क) पारेषण प्रभार ;

(ख) चक्रण प्रभार ;

(ग) प्रति राज्यानुदान अधिभार ;

(घ) अतिरिक्त अधिभार ;

(ङ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC)/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) के प्रयोज्य अनुसूचीकरण शुल्क (scheduling fees)/प्रभार एवं विचलन प्रभार ;

(च) राज्य शासन द्वारा अधिरोपित प्रभार एवं राज्य/केन्द्र सरकार के कर ;

(छ) आपात–उपयोगी प्रभार (स्टैंडबाई चार्जेस) जहां कहीं भी ये लागू हों ; तथा

(ज) उपरोक्त प्रभारों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के प्रभार अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।

दो. प्रति–राज्यानुदान अधिभार अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति सहपठित विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार, होंगे :

परन्तु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने वाले विद्युत उत्पादन संयन्त्र से हरित ऊर्जा क्रय करने वाले हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता के लिये प्रतिराज्यानुदान अधिभार में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने वाले विद्युत उत्पादन संयन्त्र की परिचालन तिथि से बारह वर्षों की अवधि के दौरान उक्त वर्ष हेतु जिसके अन्तर्गत निर्बाध (खुली) पहुंच स्वीकार की गई हो हेतु निर्धारित किये गये अधिभार से पचास प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा स्थाई प्रभारों का भुगतान किया जा रहा हो तो ऐसे उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार लागू न होगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसे प्रकरण में जहां निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता को अपशिष्ट से ऊर्जा संयन्त्र (वेस्ट टू एनर्जी प्लांट) के माध्यम से उत्पादित विद्युत प्रदाय की जाए, वहां प्रतिराज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार लागू न होगा :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हायड्रोजन तथा हरित अमोनिया के उत्पादन हेतु किया जाता हो तो प्रतिराज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार लागू न होंगे।

तीन. किसी उपभोक्ता द्वारा देय प्रतिराज्यानुदान अधिभार इस प्रकार का होगा जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतिराज्यानुदान अधिभार के चालू स्तर की प्रतिपूर्ति कर सके।

चार. आपात–उपयोगी प्रभार (स्टैण्ड बाई प्रभार) जहां कहीं भी वे लागू हों, को राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा तथा ऐसे प्रभार लागू न होंगे यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आपात उपयोगी व्यवस्था हेतु अग्रिम रूप से विद्युत

प्रदाय हेतु प्रदाय अवधि से न्यूनतम चौबीस घंटे पूर्व नोटिस दिया गया हो :

परन्तु यह कि प्रयोज्य आपात–उपयोगी प्रभार उपभोक्ता टैरिफ श्रेणी को प्रयोज्य ऊर्जा प्रभारों के दस प्रतिशत से अधिक न होंगे :

परन्तु यह और कि आपात–उपयोगी प्रभार (स्टैण्डबाई चार्जेस) यथासंशोधित मप्रविनिआ {ऊर्जा के नवीकरणीय ((अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} विनियम, 2021 तथा मप्रविनिआ (हरित ऊर्जा खुली पहुँच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुँच प्रभारों एवं बैकिंग प्रभारों के अवधारण की कार्यविधि) विनियम, 2023के प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके समुच्चय/पूल से प्रदाय की गई ऊर्जा हेतु ऊर्जा प्रभारों के अतिरिक्त होंगे।

व्याख्या–इस विनियम के प्रयोजन हेतु अभिव्यक्ति "आपात–उपयोगी प्रभारों (स्टेण्डबाई चार्जेस)" से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपात–उपयोगी व्यवस्था के विरूद्ध निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं हेतु प्रयोज्य प्रभार, ऐसी परिस्थिति में जब निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता जिनके साथ उसके द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु अनुबन्ध निष्पादित किये गये हों, के लिये विद्युत–उत्पादन स्त्रोतों से विद्युत की अधिप्राप्त किया जाना विद्युत–उत्पादन संयन्त्र, पारेषण परिसम्पत्तियों तथा समकक्ष कारणों से अवरोध के फलस्वरूप संभव न हो।

आयोग के आदेशानुसार,
**उमाकांता पांडा**, सचिव.